

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,अलीगढ़।

वाद संख्या 2734/2019

राज्य

बनाम

संतोष कुमार

धारा 138 (1)(बी) विद्युत अधिनियम

थाना अकराबाद, जिला अलीगढ़।

आदेश

14.12.2019

राष्ट्रीय लोक अदालत में पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त संतोष कुमार उपस्थित, उसने अपना जुर्म स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया है। पत्रावली पर विभाग का यदि कोई वकाया हो तो विभाग में जमा करे। अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर विद्युत अधिनियम की धारा 138 (1)(बी) विद्युत अधिनियम के अपराध हेतु अभियुक्त को 4,000/रुपये (चार हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का कारावास भुगतना होगा। पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांक 14-12-2019

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), अलीगढ़।